संख्या–436/60–3–2019–6(सा0)/19टीसी

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 07 मार्च, 2019

विषयः–कन्या सुमंगला योजना के संबंध में।

महोदय,

महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। उक्त के दृष्टिगत ही राज्य सरकार द्वारा "कन्या सुमंगला योजना" लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, समान लैंगिक अनुपात स्थापित करना, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने में सहायता प्रदान करना, बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है। "कन्या सुमंगला योजना" दिनांक 01.04.2019 से लागू की जायेगी।

2– "कन्या सुमंगला योजना" के अन्तर्गत लाभार्थी की पात्रता निम्नवत निर्धारित है:–

1– लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/विद्युत/टेलीफोन का बिल मान्य होगा।

2– लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रु0–3.00 लाख हो।

3– किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।

4– लाभार्थी के परिवार का आकार (साईज)–परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों।

5– किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकायें ही होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा।

6– यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुये अधिकतम दो बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होंगी।

3– "कन्या सुमंगला योजना" छः श्रेणियों में लागू होगी। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी का वर्गीकरण तथा उनके लिये धनराशि वितरण की श्रेणियां निम्नवत निर्धारित हैः–

प्रथम श्रेणी	बालिका के जन्म होने पर	रू0 2000 एक मुश्त
द्वितीय श्रेणी	बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरान्त	रू0 1000 एक मुश्त
तृतीय श्रेणी	कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरान्त	रू0 2000 एक मुश्त
चतुर्थ श्रेणी	कक्षा छः में बालिका के प्रवेश के उपरान्त	रू0 2000 एक मुश्त
पंचम श्रेणी	कक्षा नौ में बालिका के प्रवेश के उपरान्त	रू0 3000 एक मुश्त
षष्टम् श्रेणी	ऐसी बालिकायें जिन्होंने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक अथवा 02 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो।	रू0 5,000 एक मुश्त

4– लाभार्थी को योजना के अन्तर्गत देय धनराशि, पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से उसके **बैंक खाते** में हस्तांतरित की जायेगी। लाभार्थी के अवयस्क होने की दशा में देय धनराशि लाभार्थी की माता के बैंक खाते में और माता की मृत्यु होने की स्थिति में पिता के बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी। माता व पिता दोनों की मृत्यु होने पर अभिभावक के बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी। लाभार्थी के वयस्क होने की दशा में देय धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी। माता/पिता की मृत्यु होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र साक्ष्य के रूप में संलग्न करना होगा।

प्राथमिक रूप में आवेदन ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। यद्यपि ऐसे आवेदक जो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं वे अपने आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भी खण्ड विकास अधिकारी/उपजिलाधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी/उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करा सकेंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

5– इस योजना के कियान्वयन के लिये आगामी वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0–1200.00 करोड़ धनराशि की बजट व्यवस्था की गयी है। योजना के संचालन के लिये राजस्व पक्ष में प्रावधानित कुल बजट का 3 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के लिये आरक्षित किया जायेगा। प्रशासनिक व्यय के अन्तर्गत अवस्थापना, मानव संसाधन, पी0ओ0एल0, स्टेशनरी, कार्यालय

व्यय, प्रचार–प्रसार, प्रशिक्षण, अनुश्रवण आदि पर निहित व्यय सम्मिलित होंगे। मानव संसाधन सम्बन्धित सेवायें योजना अवधि के लिये आउटसोर्सिंग के माध्यम से ली जायेंगी।

योजना के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत भविष्य में मार्गदर्शिका में यथावश्यक संशोधन एवं परिवर्तन मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से किया जायेगा।

6– उक्त कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार प्रश्नगत योजना क्रियान्वित किये जाने हेतु यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। कन्या सुमंगला योजना संबंधी मार्गदर्शिका (Guidelines), बालिका के पंजीकरण हेतु निर्धारित आवेदन–पत्र तथा शपथ–पत्र का प्रारूप संलग्न है।

संलग्नक – यथोक्त।

भवदीया,

(मोनिका एस0 गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या–436 (1)/60–3–2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/बाल विकास एवं पुष्टाहार/ग्राम्य विकास/नगर विकास/बेसिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/कृषि शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/वित्त/कार्मिक एवं न्याय विभाग।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला सूचना विज्ञान अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
6. वेब मास्टर, महिला कल्याण निदेशालय को इस निर्देश के साथ कि कृपया कन्या सुमंगला योजना की मार्गदर्शिका, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं शपथ पत्र विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

08/3/19

C-2/Desktop/Kanya G.O.

कन्या सुमंगला योजना के सुगम संचालन हेतु मार्गदर्शिका

कन्या सुमंगला योजना परिचय व आवश्यकताः

भारत का सामाजिक तानाबाना स्वयं में जटिल और संवेदी है। सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक और पारिवारिक परिस्थितियां महिलाओं और बालिकाओं के लिए अनादिकाल से भेदभाव पूर्ण रही है। समाज में प्रचलित कुरीतियां एवं भेद–भाव जैसेः कन्या भ्रूण हत्या, असमान लिंगानुपात, बाल विवाह एवं बालिकाओं के प्रति परिवार की नकारात्मक सोच जैसी प्रतिकूलताओं के कारण प्रायः बालिकायें/महिलायें अपने जीवन, संरक्षण, स्वास्थ एवं शिक्षा जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु सरकारी और गैर–सरकारी स्तर पर निरन्तर प्रयास भी किये जा रहे हैं। इस परिवेश के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या सुमंगला योजना के रूप में नई पहल की जा रही है जो अत्यन्त आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा के साथ–साथ विकास हेतु नये अवसर प्रदान करने के लिए यह योजना प्रारम्भ की जा रही है। इसके फलस्वरूप जहॉ एकतरफ कन्या भ्रूण हत्या एवं बाल–विवाह जैसी कुरीतियों के रोकथाम के प्रयासों को बल मिलेगा वहीं दूसरी ओर बालिकाओं को उच्च शिक्षा व रोजगार के अवसरों की ओर बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा।

महिला सशक्तिकरण वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। महिला सशक्तिकरण के आधारभूत स्तम्भ स्वास्थ्य एवं शिक्षा हैं। प्रदेश में बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने तथा उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिये ही राज्य सरकार द्वारा कन्या सुमंगला योजना बनाई गई है। इस योजना के क्रियान्वयन से 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' की अवधारणा सुदृढ़ होगी तथा महिलाओं के सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा।

कन्या सुमंगला योजना के मुख्य उद्देश्यः

- प्रदेश में स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति को सुदृढ़ करना।
- प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना।
- प्रदेश में समान लिंगानुपात स्थापित करना।
- बाल–विवाह की कुप्रथा को रोकना।
- नवजात कन्या के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा
- उत्तर प्रदेश में बालिका के जन्म के प्रति आमजन में सकारात्मक सोच विकसित करना व उनके उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला रखना।

कन्या सुमंगला योजना के क्रियान्वयन के स्तरः

कन्या सुमंगला योजना 6 श्रेणियों में निम्नवत् लागू की जायेगी–

1. प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत् नवजात बालिकाओं जिनका जन्म 01/04/2019 या उसके पश्चात् हुआ हो, को लाभान्वित किया जायेगा।
2. द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत् वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिनका एक वर्ष के भीतर सम्पूर्ण टीकाकरण हो चुका हो तथा उनका जन्म 01/04/2018 से पूर्व न हुआ हो।
3. तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत् वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो।
4. चतुर्थ श्रेणी के अन्तर्गत् वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान छठी कक्षा में प्रवेश लिया हो।
5. पंचम श्रेणी के अन्तर्गत् वह बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान नवीं कक्षा में प्रवेश लिया हो।

6. षष्टम् श्रेणी के अन्तर्गत् वह सभी बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक–डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो।

कन्या सुमंगला योजना धनराशि वितरण की श्रेणियां:–

प्रथम श्रेणी	बालिका के जन्म होने पर	रू0 2000 एक मुश्त
द्वितीय श्रेणी	बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरान्त	रू0 1000 एक मुश्त
तृतीय श्रेणी	कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरान्त	रू0 2000 एक मुश्त
चतुर्थ श्रेणी	कक्षा छः में बालिका के प्रवेश के उपरान्त	रू0 2000 एक मुश्त
पंचम श्रेणी	कक्षा नौ में बालिका के प्रवेश के उपरान्त	रू0 3000 एक मुश्त
षष्टम् श्रेणी	ऐसी बालिकायें जिन्होंने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक–डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो।	रू0 5000 एक मुश्त

कन्या सुमंगला योजना की पात्रता की अहर्ताएं:–

- लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/विद्युत/टेलीफोन का बिल मान्य होगा।
- लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम रु0–3.00 लाख हो।
- किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
- लाभार्थी के परिवार का आकार (साईज)–परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों।
- किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वा बालिकायें ही होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा।
- यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुये अधिकतम दो बालिकायें इस योजना की लाभार्थी होंगी।

आवेदन की प्रकिया, जॉच व स्वीकृति:–

- बालिका स्वयं (यदि वयस्क हो), बालिका के माता/पिता या अभिभावक, उक्त योजना के लाभ हेतु आवेदक के रूप में आवेदन कर सकते हैं।
- उपरोक्त विवरण के अनुसार पूर्ण रूप से निधारित प्रारूप पर भरे, स्वयं–सत्यापित व सभी संलग्नकों के साथ प्राप्त आवेदन ही मान्य होंगे।
- **ऑनलाइन आवेदन**: 1) प्राथमिक रूप में आवेदन ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। 2) ऑनलाइन आवेदन कॉमन सर्विस केन्द्रों/साइबर कैफे/स्वयं के स्मार्टफोन या कम्प्यूटर आदि किसी भी माध्यम से विभागीय पोर्टल पर किये जा सकेंगे।
- **ऑफलाइन आवेदन**: 1) ऐसे आवेदक जो ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने में सक्षम नहीं है, वे अपने आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भी जमा करवा सकते हैं।
  2) ऑफलाइन आवेदन खण्ड विकास अधिकारी/एस0डी0एम0/जिला परिवीक्षा अधिकारी/उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे। उक्त अधिकारी सभी आवेदन जिला परिवीक्षा अधिकारी को ऑनलाइन फीड करने हेतु अग्रसारित करेंगे।

3) विभिन्न अधिकारियों से प्राप्त सभी ऑफलाइन आवेदनों को जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जनपद लॉगिन से ऑनलाइन अपलोड किया जायेगा, तत्पश्चात ऑफलाइन माध्यम से भरे गये आवेदनों के संबंध में भी अग्रिम कार्यवाही ऑनलाइन ही होंगी।

4) डाक द्वारा भेजे गए प्रार्थना पत्र किसी भी अवस्था में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

5) आवेदन फार्म खण्ड विकास अधिकारी/एस0डी0एम0/जिला परिवीक्षा अधिकारी/उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी कार्यालय/विभागीय वेबसाइट/कन्या सुमंगला पोर्टल से निःशुल्क प्राप्त करें जा सकेंगे।

- इस योजना के अंतर्गत कुल 6 श्रेणियों हैं। प्रत्येक श्रेणी का लाभ प्राप्त करने के लिये पृथक रूप से आवेदन किया जा सकता है। लाभार्थी पात्र होने पर किसी भी श्रेणी में सीधे आवेदन कर सकता है। आवेदन की गई श्रेणी के बाद की सभी श्रेणियों में पात्र होने पर उनका लाभ उसे अनुमन्य होगा। उदाहरण के लिये यदि आवेदक प्रथम 2 श्रेणियों के लाभ हेतु किसी कारणवश पूर्व में आवेदन नहीं कर पाया है तो भी वह सीधे श्रेणी 3 में कक्षा 1 में प्रवेश के समय प्राप्त होने वाले लाभ के लिये आवेदन कर सकेंगे।
- पहली बार आवेदन करने पर प्राप्त पहचान संख्या/आई0डी0 नम्बर/प्राप्ति संभाल कर रखे व अन्य श्रेणियों का लाभ लेने हेतु उसी पहचान संख्या/आई0डी0 नम्बर से लॉग-इन करेंगें/ऑफलाइन आवेदन करेंगे। ऐसा करने पर उसे सिर्फ उसी श्रेणी हेतु मॉगे गये निर्धारित फार्म भरना होगा एवं दस्तावेज़ अपलोड/संलग्न करने होगें व प्रत्येक बार पूरा फार्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही सामान्य दस्तावेज जो पहले अपलोड/संलग्न किये जा चुके हैं उन्हें भी पुनः अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। पहली बार आवेदन करने/अपलोड होने पर प्राप्त रसीद में योजना के अंतर्गत आगे प्राप्त होने वाले सभी लाभों का विवरण भी अंकित होगा।
- श्रेणी 1 व 2 हेतु आवेदक या जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा सबमिट किये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र शहरी क्षेत्र में उपजिलाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी के लॉगिन पर स्थलीय व भौतिक सत्यापन कराने हेतु प्रदर्शित होंगे।
- श्रेणी 3 व 4 हेतु आवेदक या जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा सबमिट किये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र सत्यापन हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। सत्यापन के उपरांत आवेदन पत्र, सत्यापन आख्या सहित, खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा शहरी क्षेत्र में उपजिलाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी के लॉगिन पर स्थलीय व भौतिक सत्यापन कराने हेतु अग्रसारित किये जायेंगे।
- श्रेणी 5 हेतु आवेदक या जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा सबमिट किये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र सत्यापन हेतु जिला विधालय निरीक्षक को अग्रसारित किया जायेगा, जो खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आवेदन पत्र का सत्यापन करायेंगे। सत्यापन के उपरांत आवेदन पत्र, सत्यापन आख्या सहित, जिला विधालय निरीक्षक द्वारा शहरी क्षेत्र में उपजिलाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी के लॉगिन पर स्थलीय व भौतिक सत्यापन कराने हेतु अग्रसारित किये जायेंगे।
- श्रेणी 6 हेतु आवेदक या जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा सबमिट किये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र सत्यापन हेतु जिला विधालय निरीक्षक को अग्रसारित करेंगे। सत्यापन के उपरांत आवेदन पत्र, सत्यापन आख्या सहित, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा शहरी क्षेत्र में उपजिलाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी के लॉगिन पर स्थलीय व भौतिक सत्यापन कराने हेतु अग्रसारित किये जायेंगें।
- आवेदन पत्र में उल्लिखित एवं संलग्न सभी अभिलेखों का सत्यापन शहरी क्षेत्र में उपजिलाधिकारी/नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्मिकों (ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल या स्थानीय नगरीय निकाय के कार्मिकों) के माध्यम से कराये जायेंगे।
- सत्यापन के उपरांत उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र क्षेत्रीय कार्मिकों की आख्या सहित जनपद स्तरीय लॉगिन आई0डी0 पर अग्रसारित किया जायेगा।

- **जिला स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति**: 1) आवेदन स्वीकृत करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा। इस समिति में मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष होगें। समिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व या प्रशासन), जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे व जिला परिवीक्षा अधिकारी सदस्य सचिव होंगे।

  2) जिला स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति की बैठक प्रत्येक माह होगी।

  3) समिति द्वारा आवेदन पत्रों की स्वीकृति के साथ–साथ योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समीक्षा एवं समन्वय कराने के साथ–साथ कठिनाईयों के निवारण के लिये आवश्यक कायवाही सुनिश्चित करायेगी।

  4) जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा समस्त आवेदन परीक्षण के उपरान्त उन्हें जिला स्तरीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

  5) समिति की स्वीकृति के उपरांत जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा सभी पात्र आवेदन पत्र भुगतान हेतु मुख्यालय महिला कल्याण को ऑनलाइन अग्रसारित कर दिये जायेंगे।
- पोर्टल पर लाभार्थियों की सूची व अन्य आवश्यक/वांछित सूचनायें नियमित रूप से अपडेट होंगी।
- **भुगतान की कार्यवाही**: 1) मुख्यालय द्वारा प्राप्त होने की तिथि से 3 माह के भीतर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

  2) भुगतान जून, सितम्बर, दिसम्बर व फरवरी माह में किये जायेंगे।

  3) लाभार्थी को योजना के अन्तर्गत देय धनराशि, पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से ऑनलाइन उसके बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी।

योजना के अंतर्गत देय धनराशि का बैंक खाते में अंतरण:

- बालिका के अवयस्क होने की दशा में देय धनराशि पी0एफ0एम0एस0 (ऑनलाइन) के माध्यम से निम्न रूप से बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी:
  1. माता के खाते में देय धनराशि हस्तांतरित की जायेगी।
  2. माता की मृत्यु होने की दशा में पिता के खाते में देय धनराशि हस्तांतरित की जायेगी। (मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड करें)
  3. माता–पिता दोनो की मृत्यु होने की दशा में अभिभावक के खाते में देय धनराशि हस्तांतरित की जायेगी। (मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड करें)
- बालिका के वयस्क होने की दशा में योजना के अन्तर्गत देय धनराशि, पी0एफ0एम0एस0 (ऑनलाइन) के माध्यम से बालिका के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा सकती है।
- बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना अनिवार्य है।

कन्या सुमंगला योजना में सभी श्रेणियों के आवेदकों के आवेदन हेतु सामान्य अभिलेख:

- आवेदन पत्र पर माता–पिता/अभिभावक का बालिका के साथ नवीनतम संयुक्त फोटो होना अनिवार्य है।
- माता–पिता के आधार कार्ड व बालिका का आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो) की छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न/अपलोड जायेगी।

- यदि आवेदक का आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो निम्न फोटो पहचान पत्रों में से कोई एक अनिवार्य रूप में संलग्न/अपलोड किया जायेगा जैसे: पैन कार्ड, वोटर आई०डी०, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक, सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं तो विभागीय पहचान पत्र, पेंशनर फोटो आई०डी० कार्ड।
- परिवार की वार्षिक आय के संबंध में स्व–सत्यापन।
- बालिका का नवीनतम फोटो आवेदन के साथ संलग्न/अपलोड करना होगा।
- एक परिवार में 1 से अधिक लाभार्थी होने की स्थिति में दूसरी बालिका का आवेदन पत्र भरे जाने के दौरान पहले से पंजीकृत बालिका की कन्या सुमंगला पहचान/पंजिकरण संख्या का उल्लेख करना होगा, जिससे परिवार आर्ड० डी० जारी की जा सके।
- सभी संलग्नक आवेदक द्वारा स्वंय सत्यापित करने के उपरांत ही संलग्न/अपलोड किये जायेंगें।
- आवेदक को एक स्थाई मोबाइल नंबर आवेदन के समय देना है जिससे आवेदन संबंधी रसीद (पहचान संख्या/आई०डी) उक्त मोबाइल नंबर पर प्रेषित किया जा सके। यदि आवेदक के पास स्वयं का मोबाइल नम्बर नहीं है तो किसी निकटवर्ती व्यक्ति का मोबाइल नम्बर अंकित किया जा सकेगा, यद्यपि किसी के पास यदि मोबाइल नंबर नही है तो आवेदक मोबाइल नम्बर के बिना भी आवेदन कर सकता है।
- निर्धारित संलग्न प्रारूप संख्या 1 पर शपथ पत्र रू0–10/– के स्टांप पेपर पर देना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र पिता, पिता के न होने पर माता तथा माता–पिता दोनो के न होने पर अभिभावक द्वारा दिया जायेगा। यदि बालिका वयस्क है तो शपथ पत्र स्वयं बालिका द्वारा भी दिया जा सकता है। शपथ पत्र में आवेदक का नाम, पता, परिवार के सदस्यों तथा बच्चों की संख्या, परिवार की वार्षिक आय, बालिका के जन्म तथा शिक्षा संबंधी विवरण आदि की जानकारी उल्लेखित की जायेगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों की सूचीः

- इस योजना के अंतर्गत पात्रता पूरी करने हेतु विभिन्न अभिलेख संलग्न/अपलोड किये जाने होंगे। इन दस्तावेजों में से कुछ अभिलेख ऐसे हैं जो सामान्य (Common) हैं व सभी आवेदकों द्वारा संलग्न/अपलोड किये जाने होंगें तथा कुछ अभिलेख ऐसे हैं जो प्रत्येक श्रेणी (श्रेणी 1/2/3/4/5/6) की पात्रता के अनुसार ही आवेदकों द्वारा संलग्न/अपलोड किये जाने होंगें।
- सभी आवेदकों द्वारा जो अभिलेख सामान्य (Common) रूप से व पात्रता के अनुसार विभिन्न श्रेणियों (श्रेणी 1/2/3/4/5/6) का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ संलग्न/अपलोड किये जाने वाले अभिलखों की सूची क्रमशः निम्नवत् है:

सभी आवेदकों हेतु अनिवार्य अभिलेखों की सूचीः

- बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति।
- **निवास प्रमाण पत्रः** राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई०डी०, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीवन बीमा पॉलिसी, गैस कनेक्शन बुक, विद्युत बिल, जलकर रसीद, गृहकर रसीद, टेलीफोन बिल या बैक पासबुक में से कोई एक।
- **फोटो पहचान पत्रः** पैन कार्ड, पेंशनर फोटो आई०डी० कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई०डी०, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पासबुक या सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं तो विभागीय पहचान पत्र में से कोई एक।
- परिवार की वार्षिक आय के संबंध में स्व–सत्यापन।
- निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र।
- बालिका का नवीनतम फोटो।
- आवेदक व बालिका का नवीनतम संयुक्त फोटो।
- परिवार आर्ड० डी० हेतु पहले से पंजीकृत बालिका की कन्या सुमंगला पहचान/पंजीकरण संख्या/रसीद (यदि लागू हो)।

- विधिक रूप से गोद लेने का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

श्रेणी–1 के अंतर्गत जन्म के बाद पात्र बालिकाओं के आवेदन हेतु अतिरिक्त अभिलेखः

- इस श्रेणी के अन्तर्गत् नवजात बालिकाओं जिनका जन्म 01/04/2019 या उसके पश्चात् हुआ हो, को ही लाभान्वित किया जायेगा तथा आवेदन बालिका की जन्म तिथि से छः माह के भीतर किया जाना अनिवार्य होगा।
- आवेदन पत्र के साथ बालिका का उत्तर प्रदेश का जन्म प्रमाण पत्र (ग्राम पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया हो) संलग्न/अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- संस्थागत प्रसवः अस्पताल/नर्सिंग होम/स्वास्थ्य केन्द्र/एम्बुलैंस में मान्य होगा तथा संस्थागत प्रसव पंजीकरण (एम0सी0टी0एस0–Mother and Child Tracking System-MCTS) का प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड करना होगा।
- यात्रा के दौरान या अन्य किसी आकस्मिक परिस्थिति में यदि संस्थागत प्रसव नहीं होता है परन्तु जच्चा का पंजीकरण, नियमित जांचें व टीकाकरण हुआ हो (पंजीकरण व टीकाकरण का कार्ड संलग्न/अपलोड होगा) साथ ही घर/अन्यत्र किसी स्थान पर प्रसव होने पर यदि प्रसव प्रशिक्षित प्रथम श्रेणी कार्यकर्ता जैसे ए0एन0एम0 या आशा के देखरेख में हुआ हो तो भी कन्या को लाभ अनुमन्य होगा। उक्त दोनों ही परिस्थितियों में प्रथम श्रेणी कार्यकर्ता जैसे ए0एन0एम0 या आशा से उक्त आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर संबंधित मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज के सत्यापन उपरांत आवेदक को संलग्न/अपलोड करना आवश्यक होगा।
- शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर संलग्न/अपलोड करना आवश्यक होगा।

श्रेणी–2 के अंतर्गत टीकाकरण पूर्ण करने वाली पात्र बालिकाओं के आवेदन हेतु अतिरिक्त अभिलेखः

- बालिका को एक वर्ष के अंदर लगने वाले सभी टीके लगाये जाना अनिवार्य है, इस हेतु टीकाकरण/एम0सी0पी0 कार्ड की छायाप्रति जो संबंधित ए0एन0एम0/आशा द्वारा सत्यापित हो, आवेदक द्वारा संलग्न/अपलोड करना आवश्यक होगा। यदि टीकाकरण निजी चिकित्सक/क्लीनिक द्वारा किया गया है तो टीकाकरण/एम0सी0पी0 कार्ड की छायाप्रति संबंधित चिकित्सक द्वारा सत्यापित कराकर आवेदक द्वारा संलग्न/अपलोड करना आवश्यक होगा।
- शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर संलग्न/अपलोड करना आवश्यक होगा।

श्रेणी–3 के अंतर्गत कक्षा 1 में प्रवेश प्राप्त पात्र बालिकाओं के आवेदन हेतु अतिरिक्त अभिलेखः

- प्रार्थना पत्र किसी सरकारी, अनुदानित या मान्यता प्राप्त विद्यालय में दाखिला लेने के बाद उसी वर्ष 31 जुलाई तक या विधालय में दाखिले की अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर (जो भी बाद में हो) तक जमा करना अनिवार्य होगा।
- बालिका के कक्षा 1 में प्रवेश लेने संबंधी प्रमाण पत्र जो विधालय/संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, आवेदक द्वारा संलग्न/अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र में तथा आवेदन के समय यू–डाइस (U-DISE) कोड/विधालय का कोड का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। अनुदानित एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय की स्थिति में खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन अनिवार्य होगा।

- शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर संलग्न/अपलोड करना आवश्यक होगा।

श्रेणी–4 के अंतर्गत कक्षा 6 में प्रवेश प्राप्त पात्र बालिकाओं के आवेदन हेतु अतिरिक्त अभिलेखः

- प्रार्थना पत्र किसी सरकारी, अनुदानित या मान्यता प्राप्त विद्यालय में दाखिला लेने के बाद उसी वर्ष 31 जुलाई तक या विधालय में दाखिले की अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर (जो भी बाद में हो) तक जमा करना अनिवार्य होगा।
- बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने संबंधी प्रमाण पत्र जो विद्यालय/संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, आवेदक द्वारा संलग्न/अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र में तथा आवेदन के समय यू–डाइस (U-DISE) कोड/विद्यालय का कोड का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। अनुदानित एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय की स्थिति में खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन अनिवार्य होगा।
- शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर संलग्न/अपलोड करना आवश्यक होगा।

श्रेणी–5 के अंतर्गत कक्षा 9 में प्रवेश प्राप्त पात्र बालिकाओं के आवेदन हेतु अतिरिक्त अभिलेखः

- प्रार्थना पत्र किसी मान्यता प्राप्त सरकारी, प्राइवेट या अनुदानित विद्यालय में दाखिला लेने के बाद उसी वर्ष 30 सितम्बर तक अथवा बोर्ड में पंजीकरण की अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर (जो भी बाद में हो) तक जमा करना अनिवार्य होगा।
- बालिका के कक्षा 9 में प्रवेश लेने संबंधी प्रमाण पत्र जो विद्यालय/संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, आवेदक द्वारा संलग्न/अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र में तथा आवेदन के समय यू–डाइस (U-DISE) कोड/विद्यालय का कोड का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। अनुदानित एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय की स्थिति में खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सत्यापन अनिवार्य होगा।
- शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर संलग्न/अपलोड करना आवश्यक होगा।

श्रेणी–6 के अंतर्गत स्नातक–डिग्री तथा कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने वाली पात्र बालिकाओं के आवेदन हेतु अतिरिक्त अभिलेखः

- इस श्रेणी हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक नोडल होंगे।
- प्रार्थना पत्र स्नातक–डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेने के बाद उसी वर्ष 30 सितम्बर तक अथवा चालू शैक्षणिक सत्र में प्रवेश की अंतिम तिथि के उपरांत 45 दिन के अंदर (जो भी बाद में हो) तक जमा करें अन्यथा उस पर विचार नहीं होगा।
- 12वीं कक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र/अंकपत्र अपलोड/संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- किसी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/अन्य शैक्षिक संस्थान में स्नातक–डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेने के प्रवेश शुल्क की रसीद तथा संस्थान का परिचय पत्र की छायाप्रति संलग्न/अपलोड करना अनिवार्य होगा।

- स्नातक–डिग्री में बी0ए0, बी0कामॅ0, बी0एस0सी0 या अन्य समकक्ष डिग्रियॉ शामिल होंगी तथा 2 वर्षीय मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कोर्स में पॉलिटेक्निक, फार्मेसी, आई0टी0आई0, नर्सिंग, प्रबंधन, इत्यादि समकक्ष कोर्स मान्य होंगे।
- आवेदन पत्र संबंधित कालेज/विश्वविद्यालय के निदेशक/रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित करके जिला विद्यालय निरीक्षक को अग्रसारित किया जायेगा।
- शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर संलग्न/अपलोड करना आवश्यक होगा।

संख्या–1604 / 60–3–2019–6(सा0) / 19

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 **लखनऊः दिनांकः 16 अगस्त, 2019**

विषयः–मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना–आई0टी0आई0 डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं की अर्हता के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–436 / 60–3–2019–6(सा0) / 19टीसी, दिनांक 07.03.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संचालन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश मार्गदर्शिका सहित जारी किये गये हैं।

2. योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश दिनांक 07.03.2019 के प्रस्तर–3 में षष्टम श्रेणी में यह उल्लिखित है–"ऐसी बालिकायें जिन्होंने **कक्षा–12वीं उत्तीर्ण** करके स्नातक अथवा दो वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो"। उक्त शासनादेश दिनांक 07.03.2019 के साथ संलग्न मार्गदर्शिका के पृष्ठ–8 पर उल्लेख है कि "स्नातक डिग्री में बी0ए0, बी0कॉम0, बी0एस0सी0 या अन्य समकक्ष डिग्रियाँ शामिल होंगी तथा 02 वर्षीय मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कोर्स में पॉलिटेक्निक, फार्मेसी, **आई0टी0आई0,** नर्सिंग, प्रबंधन इत्यादि समकक्ष कोर्स मान्य होंगे"। उल्लेखनीय है कि **आई0टी0आई0 में 10वीं कक्षा के बाद भी प्रवेश सम्भव है।**

3. इस परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया है कि योजना के मूल शासनादेश दिनांक 07.03.2019 तथा उसके साथ संलग्न मार्गदर्शिका एवं आवेदन पत्र में **जहाँ भी '12वीं कक्षा' का उल्लेख है उसे '10वीं / 12वीं कक्षा' पढ़ा जाए।** अतः शासनादेश के संगत अंशों में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :–

1– **शासनादेश के प्रस्तर–3 की तालिका में अंकित षष्टम श्रेणी :–**

मूल प्रावधानः– "ऐसी बालिकायें जिन्होंने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके स्नातक अथवा 02 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो"।

संशोधित प्रावधानः— "ऐसी बालिकायें जिन्होंने **10वीं / 12वीं उत्तीर्ण** करके स्नातक अथवा 02 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो"।

2— **शासनादेश के साथ संलग्न मार्गदर्शिका के पृष्ठ—2 का प्रस्तर—6:—**

मूल प्रावधानः— "षष्टम् श्रेणी के अन्तर्गत् वह सभी बालिकायें सम्मिलित होंगी, जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक—डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो"।

संशोधित प्रावधानः— "षष्टम् श्रेणी के अन्तर्गत् वह सभी बालिकायें सम्मिलित होंगी, जिन्होंने **10वीं / 12वीं कक्षा** उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक—डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो"।

3— **शासनादेश के साथ संलग्न मार्गदर्शिका के पृष्ठ—2 के प्रस्तर—6 की तालिका:—**

मूल प्रावधानः— "षष्टम् श्रेणी के अन्तर्गत् वह सभी बालिकायें सम्मिलित होंगी, जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक—डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो"।

संशोधित प्रावधानः— "षष्टम् श्रेणी के अन्तर्गत् वह सभी बालिकायें सम्मिलित होंगी जिन्होंने **10वीं / 12वीं कक्षा उत्तीर्ण** करके चालू शैक्षिक सत्र के दौरान स्नातक—डिग्री या कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लिया हो"।

4— **शासनादेश के साथ संलग्न मार्गदर्शिका के पृष्ठ—7 का तीसरा शीर्षक :—**

मूल प्रावधानः— "12वीं कक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र / अंकपत्र अपलोड / संलग्न करना अनिवार्य होगा"।

संशोधित प्रावधानः— "**10वीं / 12वीं** कक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा **10वीं / 12वीं** कक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र / अंकपत्र अपलोड / संलग्न करना अनिवार्य होगा"।

5— **शासनादेश के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप के पृष्ठ—5 में श्रेणी—6:—**

मूल प्रावधानः— "12वीं कक्षा कहाँ से उत्तीर्ण करी है, विद्यालय का नाम व पता"।

संशोधित प्रावधानः— "**10वीं / 12वीं** कक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की है, विद्यालय का नाम व पता"।

6— **शासनादेश के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप के पृष्ठ—5 (निम्न अभिलेख / प्रमाण पत्र संलग्न / अपलोड करें):—**

मूल प्रावधानः– "कक्षा 12 उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र/अंक पत्र"।

संशोधित प्रावधानः– "कक्षा 10/कक्षा 12 उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र/अंक पत्र"।

4. शासनादेश संख्या–436/60–3–2019–6(सा0)/19टीसी, दिनांक 07.03.2019 तथा शासनादेश के साथ पठित मार्गदर्शिका और आवेदन पत्र का प्रारूप उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

उपरोक्तानुसार योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मोनिका एस0 गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1604 (1)/60–3–2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/बाल विकास एवं पुष्टाहार/ग्राम्य विकास/नगर विकास/बेसिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/कृषि शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/वित्त/कार्मिक एवं न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला सूचना विज्ञान अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
6. वेब मास्टर, महिला कल्याण निदेशालय को इस निर्देश के साथ कि कृपया संशोधित उपरोक्तानुसार योजना की मार्गदर्शिका, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं शपथ पत्र विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।